न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 136 / 2022 — दायर दिनांक–06.07.2022

1. चम्पा देवी पत्नी रामू जाति पुरोहित निवासी लोहार्गल (लोहरड़ा) तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज0 ।
2. सरोज पारीक पुत्री रामू पत्नी सुरेश पारीक उम्र 63 वर्ष जाति पुरोहित निवासी लोहार्गल (लोहरड़ा) हाल आबाद वार्ड नं0 11 पारीको का मोहल्ला, नायन, जयपुर राज0।
3. शारदा पारीक पुत्री रामू पत्नी राजेन्द्र कुमार पारीक उम्र 53 वर्ष जाति पुरोहित निवासी लोहार्गल (लोहरड़ा) हाल आबाद वैशाली नगर, अम्बाबाड़ी सर्किल जयपुर राज0।
4. संतरा देवी पुत्री रामू पत्नी शंकरलाल जाति पुरोहित निवासी लोहार्गल (लोहरड़ा) हाल आबाद बसंत विहार कृषि उपजमंडी के पिछे, सीकर तहसील, जिला सीकर राज0।

– वादीगण

बनाम

1. हरिप्रसाद पुत्र किशनजी दत्तक पुत्र नारायणलाल उम्र 70 वर्ष जाति पुरोहिता निवासी लोहार्गल (लोहरड़ा)
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज0।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – **श्री सम्पत सिंह शेखावत**

वकील प्रति॰ नं॰ :– **श्री लोकेश कुमार नारनोलिया**

दावा बाबत घोषणार्थ व रिकॉर्ड दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 05.12.2022

वाद–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– वादी द्वारा वाद–पत्र इस कदर पेश किया कि वाके ग्राम देवीपुरा तन् चिराना में किशनजी नाम का व्यक्ति पैदा हुआ, जिसके दो जायन्दा पुत्र संतान रामू व हरिप्रसाद हुवे, रामू पुत्र किशनजी के वारिस व उत्तराधिकारी वादियागण है तथा हरिप्रसाद अपने पिता स्व0 किशनजी के जीवनकाल में ही नारायणलाल के गोद चला गया है तथा नारायणलाल के पास ही उसका वैधानिक उत्तराधिकारी व वारिस बनकर रह रहा है तथा उसी की सम्पति का मालिक, स्वामी व उत्तराधिकारी है।

वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराना में कृषि भूमि खाता संख्या नया 446 के हाल खसरा नम्बर 1084 रकबा 0.5800 हैक्टर स्थित है, जिसे आगे वाद–पत्र में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त विवादित भूमि का पहले खातेदार काश्तकार वादियागण का पूर्वज स्व0 किशनजी था, स्व0 किशनजी के देहान्त के पश्चात उपरोक्त वर्णित भूमि का विरासतन नामान्तरण वादियागण नम्बर 1 लगायत 4 के पति / पिता रामू पुत्र किशनजी व प्रतिवादी नं0 1 [illegible] किशनजी के नाम दर्ज हो गया, जो गलत दर्ज हुआ है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 हरिप्रसाद स्व0 किशनजी के जीवन[illegible] नारायणलाल के गोद चला गया था तथा दत्तक पुत्र की हैसियत से नारायणलाल [illegible] दस्तावेजात आधार कार्ड आदि में भी प्रतिवादी नं0 हरिप्रसाद के दत्क पिता का नाम [illegible] व उत्तराधिकारी है तथा अपने दत्तक पिता की सम्पति में ही कानूनन उस[illegible] प्रतिवादी संख्या 1 हरिप्रसाद ना[illegible] लाल के गोद जाने के बाद उपरोक्त सम्पति में हरिप्रसाद के हक व अधिक[illegible] समाप्त हो गये तथा प्रतिवादी दत्तक पिता नारायणलाल की सम्पति में काबिज व आबाद है तथा उपयोग उपभोग कर रहा है। विवादित भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 14:02:06 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

प्रतिवादी संख्या 1 ना तो कभी काश्त व काबिज रहा है ना ही आज है, उक्त विवादित भूमि पर वादियागण व उसके पूर्वज रामू का ही काश्त व कब्जा था जो लगातार चला आ रहा है जिसके बाबत कोई विवाद नहीं है न ही किशनजी का देहान्त हुआ तो किशनजी का देहान्त हुआ तो उनका विरासतन नामान्तरण वादियागण के पूर्वज स्व0 रामू पुत्र किशनजी के नाम ही दर्ज होना चाहिये था लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने बिना मौके, कब्जे व रिकॉर्ड की जॉच किये उक्त भूमि का नामान्तरण वादियागण के पूर्वज स्व0 रामू व प्रतिवादी नं0 1 के नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया जो आज भी गलत रूप से दर्ज रिकॉर्ड चला आ रहा है।

उक्त विवादित भूमि के 1/4 –1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार वादियागण संख्या 1 लगायत 4 है, जिनके अलावा अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा नही है उक्त वर्णित भूमि का खातेदार वादियागण का पूर्वज रामू पुत्र किशनजी का देहान्त दिनांक 10.11.1987 को हो चुका है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में रामू पुत्र किशनजी का विरासतन नामान्तरण नही भरा गया है जिस कारण राजस्व रिकॉर्ड में स्व0 रामू का ही नाम दर्ज चला आ रहा है। स्व0 रामू के विधिक वारिसान वादीगण संख्या 1 लगायत 4 है, जिनको खातेदार घोषित किया जाना कानूनन आवश्यक है, जिसकी घोषणा किया जाना कानूनन व न्यायहित में आवश्यक है। ऐसी हालत में वादीगण के लिए यह दावा बाबत घोषणार्थ व दुरूस्ती का पेश करना आवश्यक हुआ।

वादियागण उपरोक्त विवादित भूमि पर काश्त व काबिज है तथा काश्त व कब्जे बाबत कोई विवाद नहीं है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज रहने से वादियागण के हक व हिस्से पर भी क्लाउड आ सकते है व वादियागण को उनकी खातेदारी की भूमि से कभी भी महरूम किया जा सकता है इसलिए वादियागण को उपरोक्त विवादित सम्पूर्ण भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर, राजस्व रिकॉर्ड वादियागण के नाम 1/4–1/4 हिस्से की खातेदारी दर्ज किये जाने का आदेश प्रतिवादी संख्या 2 को दिया जावे, जिससे राजस्व रिकॉर्ड सही व दुरूस्त हो सके, जिसके लिए भी उक्त वाद श्रीमानजी की सेवामें पेश है।

वादियागण उपरोक्त भूमि पर काश्त व काबिज है जिनको उक्त गलत राजस्व रिकॉर्ड बाबत कोई जानकारी नही थी, परन्तु वादियागण को अपनी भूमि के विकास के लिए रूपयो की आवश्यकता होने पर उक्त भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये राजस्व रिकॉर्ड की नकल दिनांक 08.04.2022 को प्राप्त की तब प्रथम बार वादियागण को उक्त गलत राजस्व रिकॉर्ड बाबत जानकारी हुई, जिस पर वादियागण ने प्रतिवादी संख्या 1 समय नही होने व यहॉ आकर भूमि वादियागण के नाम ट्रांसफर नहीं करवाये जाने के कारण वादियागण को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ।

बिनाएमुखासमत हाजा दावा के लिये प्रतिवादी संख्या 1 के नमा से राजस्व रिकॉर्ड दर्ज होने के रोज, दिनांक 10.11.1987 को वादियागण के पूर्वज का देहान्त होने के पश्चात भी उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड वादियागण के नाम दर्ज नही होने के रोज व दिनांक 08.04.2022 को राजस्व रिकॉर्ड की नकल मिलने के रोज अदालत हाजा के क्षैत्राधिकार में पैदा हुआ तथा इस प्रकार के दावो के लिये वादकारण प्रत्येक क्षण पैदा होता रहता है के रोज पैदा हुआ, इसलिए वाद श्रीमान की सेवामे पेश करना आवश्यक हुआ है।

वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर घोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि राजस्व ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराना में कृषि भूमि खाता संख्या नया 446 के हाल खसरा नम्बर 1084 रकबा 0.5800 हैक्टर के 1/4–1/4 हिस्से की खातेदार काश्तकार वादियागण संख्या 1 लगायत 4 है, तथा प्रतिवादी संख्या 1 व वादियागण के पूर्वज स्व0 रामू पुत्र किशनजी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे व वादियागण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाने की अधिकारी है।

अन्य सिद्दि जो चाही जाने से रह गई हो वादी के हक में [illegible] भूलवश चाही जाने से रह गई हो वह भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 के त[illegible] वादी [illegible] दिलाई जावे।

प्रतिवादी नं0 1 की ओर से इकबाली जबाब पेश कर दावे में प्रस्तुत [illegible] कथन स्वीकार किये गये है तथा निवेदन किया है कि वादीगण के चाहे गये अनुतोष के अनुसार वाद [illegible] किया जाता है तो जाबाबदेहन्दा को कोई ऐतराज नही है।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर कि[illegible]या तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री लोकेश कुमार नारनोलिया ने वकालतनामा मय इकबाली जबाब पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 14:02:06 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (का.दे.)
नवलगढ़

किया। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद तामील के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से इकबाली जबाब दावा पेश कर वादी का वाद स्वीकार किया गया है तथा शेष प्रतिवादी संख्या 2 की एकपक्षीय कार्यवाही होने के कारण पर तनकीयात की आवश्यकता नही रहती है। फलस्वरूप तनकीयात कायम नही की गई।

तदपश्चात शहादत ली गई। शहादत वादी में वादी स्वयं चम्पा देवी पत्नी रामू, सरोज पारीक पुत्री रामू, शारदा पारीक पुत्री रामू व संतरा देवी पुत्री रामू उपस्थित होकर अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में साक्ष्य में दस्तावेजात प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत् 2075–2078, प्रदर्श–2 प्रतिवादी संख्या 1 का परिचय–पत्र (आधार कार्ड), प्रदर्श–3 प्रतिवादी संख्या 1 का पहचान–पत्र निवार्चन आयोग, प्रदर्श–4 प्रतिवादी संख्या 1 का परिवार राशन कार्ड प्रदर्शित करवाये गये।

शहादत प्रस्तुत होने बहस वादी अधिवक्ता एकपक्षीय बगौर सुनी गई। वादी ने दौराने बहस वाद पत्र के तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजातो को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त स्पष्ट है कि ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराना में कृषि भूमि खाता संख्या नया 446 के हाल खसरा नम्बर 1084 रकबा 0.5800 हैक्टर के 1/4 –1/4 हिस्से की खातेदार काश्तकार वादियागण संख्या 1 लगायत 4 है, तथा प्रतिवादी संख्या 1 व वादियागण के पूर्वज स्व. रामू पुत्र किशनजी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे व वादियागण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाने का अधिकारी है।

अन्य सिद्वि जो चाही जाने से रह गई हो वादी के हक में पड़ती हो और भूलवश चाही जाने से रह गई हो वह भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 के तहत वादी को दिलाई जावे।

राजस्व रिकॉर्ड गलत होने से वादीगण के अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है। विवादित भूमि शामलाती खातेदारी की शामलाती पैतृक भूमि होना साबित होती है। वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

उपरोक्त विवेचना एवं दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार वाद वादीगण साबित पाये जाने के फलस्वरूप वाद वादीगण प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराना में कृषि भूमि खाता संख्या नया 446 के हाल खसरा नम्बर 1084 रकबा 0.5800 हैक्टर के 1/4–1/4 हिस्से की खातेदार काश्तकार वादियागण संख्या 1 लगायत 4 है अतः वादियागण 1 लगायत 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व वादियागण के पूर्वज स्व. रामू पुत्र किशनजी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे व वादियागण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दारमद किया जावें। इसी अनुसार तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है कि राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कर मुताबिक मुताबिक घोषित खातेदारी अनुसार अमल दारामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना वहन करेगें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 05.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहाकय कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 14:02:06 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ मुकाम बईजलासा नवलगढ़
दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.)

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:- 136/2022 **(चंपा देवी बनाम हरिप्रसाद आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 05.12.2022 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराना में कृषि भूमि खाता संख्या नया 446 के हाल खसरा नम्बर 1084 रकबा 0.5800 हैक्टर के 1/4-1/4 हिस्से की खातेदार काश्तकार वदियागण संख्या 1 लगायत 4 है अतः वादियागण 1 लगायत 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व वादियागण के पूर्वज स्व. रामू पुत्र किशनजी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे व वादियागण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश दिये जाते है कि राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कर मुताबिक मुताबिक घोषित खातेदारी अनुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 05.12..2022 को जारी की गई।

ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.)
ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ़
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दालह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिश्नर	-	फीस कमिश्नर	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-
मुतफरिक मिजान	08.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	14.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 14:02:06 IST
Reason: SelfAttested